an>

Title: Need to restart Rashtriya Swasthya Bima Yojana in Jharkhand.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) ः भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.आई.) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों को शामिल किया गया था, जिसमें बाद में संशोधन करके असंगठित क्षेत्र मजदूरों की 11 श्रेणियों को भी शामिल किया गया। ये 11 श्रेणियाँ हैं- 1. भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिक, 2. लाइसेंसधारी रेलवे कुली, 3. स्ट्रीट वैंडर्स, 4. मनरेगा श्रमिक, 5. बीड़ी श्रमिक, 6. घरेलू श्रमिक, 7. सफाई कर्मचारी, 8. खान श्रमिक, 9. रिक्शा चालक, 10. कूड़ा बीनने वाले और 11. ऑटो/टैक्सी चालक। यह योजना 01 अप्रैल, 2015 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन हस्तांतरित हो गई है। आर.एस.बी.वाई. के दो प्रमुख उद्देश्य हैं- पहला गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा दूसरा बी.पी.एल. परिवारों को अस्पताल में भर्ती कराने एवं अन्य खर्चे हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

गरीबी, बी.पी.एल. एवं असंगठित क्षेत्र के परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल के चयन की भी स्वतंत्रता है। सरकार बीमा कंपनियों, अस्पतालों और गैर-सरकारी संगठनों को आर.एस.बी.वाई. के तहत पैसा देती है।

वर्ष 2013 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 7,27,53,741 बी.पी.एल. परिवारों में से 4,13,31,073 परिवारों को आर.एस.बी.आई. के तहत शामिल किया गया था। झारखण्ड राज्य में कुल बी.पी.एल. परिवारों 36,07,741 में से 16,82,894 को इस योजना में शामिल किया गया था। मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा के चतरा जिले में 1,40,186 में से 60,612 बी.पी.एल. परिवारों को लातेहार जिले में से 97,548 में से 44,220 बी.पी.एल. परिवारें को एवं पलामू जिले में 2,94,778 में से 1,00,093 बी.पी.एल. परिवारों को इस योजना के लिए नामांकित किया गया। यह संख्या बी.पी.एल. परिवारों का मात्र 38.48 प्रतिशत है। जबकि झारखण्ड में आर.एस.बी.आई. में नामांकित किये गये बी.पी.एल. परिवारों का औसत 46.65 प्रतिशत है। झारखण्ड में यह योजना अप्रैल, 2015 से बंद हो चुकी है। जिससे बी.पी.एल. परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि गरीबी, बी.पी.एल. परिवारें के लिए अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को झारखण्ड में शीघ्रातिशीघ्र पुनः प्रारंभ किया जाये। आर.एस.बी. योजना में सभी बी.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जाये। इसके अलावा मैं यह भी मांग करता हूँ कि झारखण्ड में योजना के बंद होने के कारणों का पता लगाकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करके दण्डित किया जाये।